बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–19/2015 134 पटना, दिनांक: 05/04/18

**कार्यालय आदेश**

श्री सुरेन्द्र कुमार, प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–प्रभारी धान क्रय केन्द्र बेलछी, पटना के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में किसानों /पैक्सों से खरीद किये गये धान की क्षति/गबन के लिए जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1029/आपूर्ति, दिनांक 27.05.2015 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 179 सहपठित ज्ञापांक 912 दिनांक 15.07.2015 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना को सचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 66 दिनांक 03.05.2017 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें दिया गया मंतव्य निम्नवत् है :–

" आरोपी पर प्रभारी धान कय केन्द्र, बेलछी के रूप में 31076.40 क्वींटल धान के निर्गत निर्गमादेश के विरूद्ध राईस मिलरों को 27161.20 क्वीं धान की आपूर्त्ति करने तथा अवशेष 3915.20 क्वींटल धान को क्षतिग्रस्त करा देने का आरोप है।

आरोपी ने अपने कारण पृच्छा में धान क्षतिग्रस्त होने का कारण बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा धान को सुरक्षित रखने हेतु सम्पूर्ण प्रबंध नहीं करने , गोदाम पुरी तरह भर जाने, सुरक्षा का कोई समुचित प्रबंध नहीं रहने, मिलरों द्वारा पूर्ण धान का उठाव नहीं करना, बरसात का मौसम होने एवं बरामदा में धान खुला रहने, जिस कारण धान धूप, वर्षा, कीट आदि से क्षतिग्रस्त होना आदि बताया है।

आरोपी का कहना है कि उनके द्वारा इस संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना एवं वरीय पदाधिकारियों को समय–समय पर सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। साक्ष्य के रूप मे आरोपी द्वारा निबंधित डाक से भेजा गया, पत्र दिनांक 22.03.2013, 01.01.2013 एवं 03.01.2013 की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मात्र पत्र लिख देने एवं राज्य खाद्य निगम पर दोष मढ देने से वे अपनी जिम्मेदारियों सें मुक्त नहीं हो जाते हैं। धान क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में इनका दायित्व था कि वे धान की सुरक्षा हेतु हर संभव प्रयास करते, परन्तु इनके द्वारा ऐसा कोई तथ्य साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत हो कि इनके द्वारा धान को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु ठोस कार्रवाई की गई है।

आरोपी पर प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोप प्रमाणित होते हैं।"

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री सुरेन्द्र कुमार से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया । अपने अभ्यावेदन में श्री सुरेन्द्र कुमार ने यह उल्लेख किया है कि उनके पास धान के रखने की प्रर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तथा जहॉ धान रखा गया था वह जगह सुरक्षित नहीं था। मिलर द्वारा समय से धान का उठाव भी नहीं किया गया जबकि इन सभी बातों के लिए उनके द्वारा पत्राचार किया जाता रहा था।

जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा बैठक में निदेश देने के बाबजूद 31076.20 क्विंटल धान में से मात्र 27160.20 क्विंटल धान का ही सितंबर, 2018 मे उठाव किया गया। इस प्रकार उनके द्वारा उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण मे दिया था।

धान क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप मे धान की सुरक्षा हेतु इनको प्रयास करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया तथा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं समर्पित किया है जिससे प्रतीत होता हो कि धान को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु इन्होंने ठोस कार्रवाई किया है। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार इन पर 3915.20 क्विंटल धान जिसका मूल्य 5106986.88 रूपया होता है, को क्षतिग्रस्त कराने का आरोप प्रमाणित होता है तथा क्षति /गबन की राशि भी इनसे वसूलनीय है।

4. संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार पर प्रमाणित आरोप के लिए संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुरेन्द्र कुमार तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बाढ–सह–प्रभारी धान क्रय केन्द्र, बेलछी प्रखंड, पटना संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक –स्था०1/आ०2–19/2015 829 पटना, दिनांक 05.04.18

प्रतिलिपिः–

सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक 1029/आपूर्त्ति दिनांक 27.05.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार से क्षति/गबन की राशि की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
3. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना/मधेपुरा।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एव विकास विभाग को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बाढ़ सह–प्रभारी धान क्रय केन्द्र, बेलछी प्रखंड, पटना सप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/4/18
निदेशक

02769 स्था० 1 (18 दिसंबर 2017) सुरेन्द्र कुमार